


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/यो-2/2021 दिनांक 14.08.2021 द्वारा श्रीमती यामिनी कौशिक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोराबीसल, जालसू जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि गुडलिया, गोविन्दगढ जिला जयपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती यामिनी कौशिक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3273/2021 यामिनी कौशिक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3273/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.08.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती यामिनी कौशिक के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्रीमती यामिनी कौशिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोराबीसल, जालसू जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री घीसाराम का अन्तरिम समायोजन राउमावि गुडलिया, गोविन्दगढ जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।


  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/यामिनी कौशिक/3273/2021 दिनांक: 20.09.21  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनू/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)